

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1659/2010.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- सिटी कॉर्प फाईनेन्स (इण्डिया) ली० बनाम सहायक आयुक्त, सर्किल-ए, जयपुर

लुखा हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी ह
30.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री डी पी औझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु अपीलार्थी प्रकरण वापस लेना / (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 1659/2010/जयपुर को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;"> <p>आशा कुमारी 30.4.15 (आशा कुमारी) सदस्य</p> </div>	